दैनिक जागरण

असल दोष यह है कि दोषों को सुधारने की कोशिश ही न की जाए

# शरारत भरा दुष्प्रचार

यह बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि लोकसभा से पारित नागरिकता संशोधन विधेयक पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी आपत्ति जता रहे हैं। जो देश धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मामले में दुनिया भर में कुख्यात हो और जहां अल्पसंख्यक एक तरह से अंतिम सांसें गिन रहे हों वह आखिर किस मुंह से भारत को नसीहत दे सकता है? नागरिकता विधेयक पर इमरान खान की शरारत भरी टिप्पणी भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ही नहीं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी है। यह सहज ही समझा जा सकता है कि इमरान खान यह धृष्टता इसीलिए कर सके, क्योंकि हमारे कई विपक्षी दल यह दुष्प्रचार करने में जुटे हुए हैं कि यह विधेयक मुस्लिम विरोधी है। आखिर जिस विधेयक का देश के किसी भी मजहब के नागरिकों से कहीं कोई लेना-देना ही नहीं उसे लेकर यह माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि वह भारतीय मुसलमानों के हित में नहीं? नागरिकता विधेयक को लेकर जानबूझकर दुष्प्रचार तब किया जा रहा है जब विपक्ष की आपत्तियों का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने बार-बार यह स्पष्ट किया कि इस कानूनी कवायद का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं। जो भी इस दुष्प्रचार में लिप्त हैं उन्हें बेनकाब करने की जरूरत है, क्योंकि कोई इस विधेयक को जिन्ना के विचारों के अनुरूप बता रहा है तो कोई भारतीय मूल्यों के प्रतिकूल? क्या भारत का हित इसमें है कि दुनिया भर के लोगों को देश में बसने की इजाजत दे दी जाए?

यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि नागरिकता विधेयक को लेकर दुष्प्रचार करने वाले सब कुछ जानते हुए भी इस तथ्य की अनदेखी करना पसंद कर रहे हैं कि यदि इसमें कुछ विसंगतियां होंगी तो उच्चतम न्यायालय के पास उन्हें दूर करने का अधिकार होगा। यह अच्छा हुआ कि भारत ने नागरिकता विधेयक पर एक अमेरिकी आयोग की टिप्पणी का प्रतिवाद करने में देर नहीं की। इस आयोग की टिप्पणी अनावश्यक ही नहीं, अज्ञानता से भी भरी है। उसे इससे परिचित होना चाहिए कि खुद अमेरिकी प्रशासन अपने हिसाब से यह तय करता रहा है कि उसे किन देशों के नागरिक स्वीकार हैं और किन देशों के नहीं? उसके ऐसे कई फैसलों को वहां की अदालतों ने सही भी ठहराया है। अमेरिका या फिर अन्य किसी देश को यह तय करने का अधिकार नहीं मिल सकता कि भारत के नागरिकता संबंधी नियम-कानून कैसे हों? यह आवश्यक है कि भारत सरकार पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दे कि वह उसके आंतरिक मामलों में टांग अड़ाने से बाज आए। यह भी उचित होगा कि भारत की ओर से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मामले को उठाया जाए।

# बहुरेंगे दिन

कोलकाता के चटकल उद्योग से यूपी-बिहार समेत कई राज्यों का गहरा नाता है। जूट मिलों की बदहाली ने रोजगार के लिए बंगाल को ठिकाना बनाने वालों के सपनों पर पहरे बिठा दिए। कुछ लौट गए तो कुछ दूसरे धंधों से जुड़ गए। रोजगार की तलाश में आने वाली नई खेप की आमद भी कम हुई। अब उम्मीद की रोशनी दिखाई पड़ी है। जूट मिलों में रोजगार की नई संभावना दिखने लगी है। दरअसल केंद्र सरकार ने अनाजों की पैकेजिंग में 100 फीसद जूट की बोरियों के इस्तेमाल का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में केंद्र सरकार ने अनाजों और चीनी की पैकेजिंग के लिए जूट की बोरियों का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री बंगाल की नब्ज जानते हैं और उनके इस फैसले से सर्वाधिक प्रभावित यही राज्य होगा। यह फैसला 2021 में बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि यहां दशकों से रह रहे मजदूर वर्ग का इससे सीधा वास्ता है। कोलकाता की दर्जनों जूट मिलें बंद हो चुकी हैं। जूट उद्योग पर अभी तक आफत के ही बादल मंडरा रहे थे, लेकिन अब अनाजों की पैकेजिंग के लिए जूट की बोरियों की मांग बढ़ेगी। यह मांग निःसंदेह जूट मिलों को पुनर्जीवित करने में सहायक सिद्ध होगी। केंद्र सरकार ने जूट पैकेजिंग मैटेरियल एक्ट, 1987 के तहत जूट पैकेजिंग को बरकरार रखा है। जूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने प्रयास भी किया है। इस फैसले से करीब पौने चार लाख मजदूरों और लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। सिर्फ बंगाल, यूपी और बिहार ही नहीं, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्य भी इससे प्रभावित होंगे। मोदी के इस फैसले की सर्वत्र सराहना हो रही है। भारतीय जूट मिल्स एसोसिएशन ने भी मोदी सरकार के इस कदम की सराहना की है। इस फैसले से जहां एक तरफ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। सरकार ने प्लास्टिक की बोरियों पर रोक लगा दी है। प्लास्टिक की बोरियों पर रोक लगाए जाने पर मोदी ने खास जोर दिया है। अभी तक जूट बोरियों की अनुपलब्धता के चलते फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को प्लास्टिक की बोरियों के इस्तेमाल की छूट मिली हुई थी, लेकिन सरकार ने जूट को महत्व और प्लास्टिक पर रोक लगाकर दोहरे लाभ की भूमिका रची है। निःसंदेह यह फैसला उम्मीदों को परवान चढ़ाने वाला होगा। भविष्य में जूट मिलों के खुलने और नई मिलों की नींव पड़ने से रोजगार की तलाश पूरी होगी और खाली हाथों को काम मिलेगा।

# उचित आधार वाला नागरिकता विधेयक

अद्वैता काला

इस दलील की अनदेखी नहीं होनी चाहिए कि नागरिकता विधेयक का मकसद विभाजन के बाद के हालात से निपटना है

नागरिकता संशोधन विधेयक पर संसद के भीतर और बाहर बहस गर्म है। यह बहस मीडिया में भी है और सोशल मीडिया में भी। हर कोई इस या उस पक्ष में अपनी राय रख रहा है। आलोचक इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी के तौर पर पेश कर रहे हैं। जो विधेयक के विरोध में नहीं हैं वे उसका समर्थन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यह कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी है। वे तो इसका समर्थन इसलिए कर रहे है, क्योंकि यह पड़ोसी देशों के उन सताए गए अल्पसंख्यकों के पक्ष में है जिनका कहीं ठौर-ठिकाना नहीं।

1947 में जब देश का धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ तब भारत ने अपनी हिंदू मान्यताओं के चलते धर्म आधारित देश बनना पसंद नहीं किया। हिंदू मान्यताएं सेक्युलरिज्म के अनुकूल हैं और उनका किसी भी पंथ के साथ कहीं कोई टकराव भी नहीं। भारतीय इतिहास इस तरह के दृष्टांतों से भरा पड़ा है कि भारत ने विभिन्न पंथों के धार्मिक आधार पर सताए गए लोगों के लिए अपने द्वार किस उदारता के साथ खोले। इस मौके पर देश की पहली मस्जिद का संज्ञान भी लिया जाना चाहिए जो केरल में बनी। अगर भारत ने किसी धर्म को अपना राजकीय धर्म नहीं घोषित किया तो यह किसी विवाद या दुविधा के कारण नहीं, लेकिन भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश घोषित किया। उसने ऐसा तब किया जब वहां अच्छी-खासी संख्या में धार्मिक अल्पसंख्यक रह रहे थे। इन धार्मिक अल्पसंख्यकों ने इस उम्मीद में भारत की ओर पलायन नहीं किया कि नए देश में उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। वक्त ने उन्हें गलत साबित किया। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो उसने भी खुद को इस्लामिक देश घोषित किया। समय के साथ इन दोनों देशों में बलात मतांतरण और उत्पीड़न के कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या घटनी शुरू हो गई। इसके विपरीत भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई। आज यह बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई है।

नागरिकता संशोधन विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा जिस तीसरे देश अफगानिस्तान का उल्लेख है वहां भी लगातार चले युद्ध और तालिबान के दमनकारी शासन के चलते सिखों और हिंदुओं का सफाया हुआ। इस सफाए को दुनिया ने भी देखा। वास्तव में इसी कारण नागरिकता विधेयक में अफगानिस्तान को शामिल किया गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोधी यह तर्क दे रहे हैं कि इन तीनों देशों के साथ-साथ म्यांमार में भी मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। निःसंदेह अनदेखी नहीं की जा सकती।

पाकिस्तान में अहमदिया और शिया सताए जा रहे हैं। यह तब है जब इस्लाम वहां का राजकीय धर्म है। चूंकि ये समुदाय पाकिस्तान के निर्माण में सहायक बने और उसकी आंतरिक संरचना का अंग हैं इसलिए उनकी देख-रेख करना पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इस जिम्मेदारी के लिए उसे जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में लोगों का उत्पीड़न इसलिए हो रहा है, क्योंकि वहां के लोग आत्मनिर्णय का अधिकार मांग रहे हैं। वहां की समस्या को धार्मिक आधार पर किए जाने वाले उत्पीड़न की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

अवधेश राजपूत

म्यांमार के अराकान इलाके में रोहिंग्या उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। उनके उत्पीड़न पर आंग सान सू को अंतरराष्ट्रीय अदालत के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ रही है। अराकान में रह रहे हिंदू भी रोहिंग्या आतंकियों के हाथों प्रताड़ित हो रहे हैं। बहुत दिन नहीं हुए जब वहां एक कब्र में दफनाए गए करीब सौ हिंदुओं के शव मिले थे।

चूंकि नागरिकता संशोधन विधेयक में श्रीलंका के तमिल हिंदुओं और मुसलमानों को भी शामिल नहीं किया गया है इसलिए सरकार की इस दलील में दम है कि इस विधेयक का मकसद विभाजन के पहले और बाद के हालात से निपटना है। अफगानिस्तान इस विधेयक का हिस्सा है तो वहां के युद्ध जैसे असामान्य हालात के कारण। अफगानिस्तान के विपरीत म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश है और वहां एक विधिवत सरकार है। यह सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर अपने लोगों और साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रति जवाबदेह है। म्यांमार सरकार ने रोहिंग्याओं से देश लौटने को कहा भी है। इसकी संभावना है कि उनकी वापसी को सुनिश्चित किया जाएगा।

एक आदर्श विश्व में हमें किसी सीमा की जरूरत नहीं, लेकिन आज के खतरनाक माहौल में देशों को अपनी सीमाओं को न सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी गंभीरता से लेना पड़ रहा है। भारत जैसे विकासशील देश में विशाल आबादी की अपनी चुनौतियां हैं। ऐसे में हमें यह सोचना पड़ेगा कि आखिर हम और कितने शरणार्थियों को स्वीकार कर सकते हैं। आज तो यूरोप के समृद्ध देश भी इसके प्रति कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। ब्रिटेन में इस पर बहस छिड़ी है कि खुली सीमा उनके हित में नहीं है। ब्रेक्जिट इसी की देन है। हमारी सीमा बांग्लादेश से लगती है। दशकों से वहां से लोग बेहतर जीवन की उम्मीद में भारत में प्रवेश कर रहे हैं। वे उस क्षेत्र की आबादी के साथ घुलमिल गए हैं। इससे वहां की आबादी का संतुलन बिगड़ गया है। संसाधनों पर उनका कब्जा हो गया है। इसके अलावा वे असम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। दोष बेहतर जीवन की चाह रखने वाले गरीबों का नहीं, बल्कि स्वार्थी नेताओं का है जो वोट बैंक की राजनीतिक चमकाने के लिए घुसपैठ को बढ़ावा देते रहे।

बेलगाम घुसपैठ से देश की सुरक्षा के लिए पैदा हो रहे खतरे की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। तब तो बिल्कुल भी नहीं जब खुफिया एजेंसियां यह कह रही हों कि हूजी सरीखे आतंकी संगठन घुसपैठ को बढ़ावा देने के साथ ही घुसपैठियों के बीच पैठ भी बना रहे हैं। इन संगठनों का मकसद भारत में हिंसा और आतंक फैलाना ही है। इसका कोई मतलब नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल की चिंता करने में संकोच बरता जाए। चूंकि विपक्षी दलों की ओर से नागरिकता विधेयक का विरोध किया जा रहा है इसलिए वह एक भावनात्मक मसला भी बन रहा है। हैरत नहीं कि भारतीय मुस्लिम इस विधेयक को भेदभाव करना वाला समझें, जबकि सच यह है कि इससे उनका कोई लेना-देना नहीं। चूंकि धारणा का महत्व होता है इसलिए सत्ताधारी दल और सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह लोगों तक पहुंच बढ़ाए और यह स्पष्ट करे कि इस विधेयक को ऐसा स्वरूप क्यों दिया गया? इस विधेयक पर संसद की मुहर लगने के आसार हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता को उन मुद्दों से परिचित होना चाहिए जिनके बारे में उसका यह मानना हो कि वे उस पर असर डाल सकते हैं। पारदर्शिता और खुला संवाद भरोसे को बढ़ाने में सहायक ही बनता है।

(लेखिका ब्लॉगर एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

# दोराहे पर खड़ा ब्रिटेन

डॉ. विजय राणा

ब्रेक्जिट के चलते ब्रिटेन की राजनीतिक-सामाजिक खाई काफी चौड़ी हो गई है और उसका दुष्प्रभाव चुनाव में भी दिख रहा है

ब्रिटेन के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमंस की 650 सीटों के लिए 12 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है। भारत की तरह ब्रिटेन में भी हर पांच वर्ष में आम चुनाव होते हैं, लेकिन ब्रेक्जिट की अनिश्चितता के चलते वहां हाल के वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता इस कदर बढ़ी कि 2015 के बाद से यह ब्रिटेन का तीसरा संसदीय चुनाव है। ब्रिटेन के आधुनिक इतिहास में यह सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। इसके नतीजे उसकी आगे की राह तय करेंगे। अभी ब्रिटेन दोराहे पर खड़ा है। दरअसल 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा ब्रिटेन के बहुसंख्यक 52 प्रतिशत मतदाताओं ने यूरोपीय आर्थिक संघ से बाहर निकलने का विवादास्पद निर्णय लिया, लेकिन वह फैसला अब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका है। इस दौरान ब्रिटेन की राजनीतिक और सामाजिक खाई काफी चौड़ी हो गई, जिसका दुष्प्रभाव चुनाव में नजर आ रहा है। मैं 1983 से यहां के चुनावों का विश्लेषण कर रहा हूं, पर चुनावों में ऐसी कड़वाहट, इतना क्रोध और इतने आरोप-प्रत्यारोप पहले कभी नहीं देखे। देश विभाजित है। जनता भ्रमित है। व्यापारी चिंतित हैं। युवा आक्रोशित हैं और अल्पसंख्यक अपने भविष्य के प्रति आशंकित हैं।

2008 की आर्थिक मंदी के बाद से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था उबर नहीं पाई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा में लगातार कटौतियां होती रही हैं। कमजोर तबके के लोगों का वेतन बढ़ा नहीं है। गरीबों और अमीरों के बीच की खाई भी बढ़ी है। अपनी इन विफलताओं को छिपाने के लिए ब्रिटेन के बहुत से राजनीतिज्ञों ने इन आर्थिक कठिनाइयों के लिए यूरोपीय संघ को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। ब्रिटेन प्रतिवर्ष यूरोपीय संघ को भारी अनुदान देता है। उदाहरण के लिए 2018 में ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के बजट में 8.9 अरब पाउंड का अतिरिक्त अनुदान दिया। ब्रेक्जिट के पक्षधर नेताओं का मानना है कि यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद 8.9 अरब पाउंड की इस भारी भरकम रकम को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी स्थानीय सेवाओं पर खर्च किया जा सकेगा।

सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कहना है कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद ब्रेक्जिट विधेयक को क्रिसमस से पहले संसद में पास कराया जाएगा और 30 जनवरी से पहले ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर आ जाएगा। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता यूरोपीय संघ में बने रहना चाहती हैं। वहीं प्रमुख

विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोर्बिन का कहना है कि पहले तो वे यूरोपीय संघ के साथ ब्रेक्जिट के लिए एक नया समझौता करेंगे। फिर उस समझौते पर एक नया जनमत संग्रह कराएंगे। यदि जनता ने इस नए समझौते का समर्थन किया तो ब्रिटेन यूरोपीय संघ को छोड़ देगा और यदि समझौते को खारिज कर दिया तो ब्रिटेन यूरोपीय संघ में बना रहेगा। लेबर पार्टी की इस नीति को लेकर ब्रेक्जिट से उकताए मतदाताओं के मन में दो आशंकाएं हैं। एक तो यह कि अंतिम फैसला होने में महीनों लग सकते हैं और दूसरा हो सकता है कि जेरेमी कोर्बिन को स्पष्ट बहुमत न मिले। उन्हें स्कॉटलैंड की आजादी की समर्थक स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ सकती है। एसएनपी पहले ही यह कह चुकी है कि यदि ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट का फैसला किया तो वह स्कॉटलैंड की आजादी के लिए जनमत संग्रह कराना चाहेगी, क्योंकि स्कॉटलैंड की जनता यूरोप में रहना चाहती है। ब्रिटेन के बहुत से मतदाता मानते हैं कि यदि एसएनपी और लेबर पार्टी की साझा सरकार बनती है तो भविष्य में ब्रिटेन टूट सकता है। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग हो सकता है।

ब्रिटिश राजनीति का एक और निराशाजनक पक्ष है जनता में तीनों प्रमुख पार्टियों के नेताओं के प्रति अविश्वास का भाव। बोरिस जॉनसन के बारे में माना जाता है कि उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने अमीर समर्थकों की चिंता है। जेरेमी कोर्बिन अपने धुर-वामपंथी विचारों के कारण हमेशा विवादास्पद रहे हैं। वह ब्रिटेन की राजशाही में यकीन नहीं रखते। वह अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक ब्रिटेन के सैनिक अभियानों के विरोधी रहे हैं। उन पर यहूदी विरोधी होने के गंभीर आरोप हैं। वह कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के समर्थक हैं। वह पाकिस्तान के इस दृष्टिकोण का भी समर्थन करते है कि भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। कोर्बिन के भारत विरोधी रुख के कारण भारतीय मूल के मतदाता लेबर पार्टी से नाराज हैं। 15 अगस्त को जब भारतीय मूल के लोग भारत के उच्चायोग के सामने जश्न माना रहे थे तो हजारों पाकिस्तान समर्थकों की एक भीड़ ने वहां हिंसक प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में लेबर पार्टी के कई सांसदों ने भारत विरोधी भड़काऊ भाषण दिए। सितंबर में लेबर पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध और कश्मीर की आजादी के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। पाकिस्तान समर्थक गुटों ने कंजरवेटिव पार्टी के उन सांसदों को हराने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिन्होंने भारत के पक्ष में आवाज उठाई थी। मस्जिदों में लेबर पार्टी के समर्थन में बड़े बड़े पोस्टर देखे जा सकते हैं।

ब्रिटिश चुनाव में जारी इस सांप्रदायिक खेल का विरोध करने के लिए भारतीय मूल के संगठनों ने भी ब्रिटिश हिंदू वोट मैटर्स नामक एक लेबर विरोधी अभियान चलाया है। रोचक यह है कि इस्लाम और कुरान का वास्ता देकर मुस्लिम वोट को प्रभावित करने वाले लेबर नेता अब यह शिकायत कर रहे हैं कि भारत ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। ब्रेक्जिट की विवादास्पद राजनीति ने ब्रिटेन के सहिष्णु समाज को गहरी चोट पहुंचाई है। भारतीय और पाकिस्तानी समुदाय हिंदू-मुस्लिम प्रतिद्वंद्विता के आधार पर मतदान का मन बना चुका है। दक्षिणपंथियों और वामपंथियों के बीच मानो तलवारें खिंची हैं। मीडिया में उग्र बहस जारी है। जनता की कुंठा बढ़ती जा रही है। यदि अगले शुक्रवार की सुबह कंजरवेटिव पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो सामाजिक तनाव की यह स्थिति अनिश्चित काल तक बनी रहेगी।

(लेखक लंदन में रह रहे वरिष्ठ पत्रकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

## सद्बुद्धि

विकास और विनाश की जड़ सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि को माना गया है। सद्बुद्धि मानव मस्तिष्क में सकारात्मक सोच की उपज करने वाली ईश्वर प्रदत्त औषधीय शक्ति है। इससे अवरोधों से भरे मार्ग पर भी रास्ता तैयार करने की क्षमता विकसित होती है और लक्ष्य तय कर लिया जाता है। सद्बुद्धि को जीवन में धारण करने के कारण ही व्यक्ति का विकास होता है। वहीं दुर्बुद्धि-ग्रस्त होने से मनुष्य का हर तरह से पतन हो जाता है।

भक्ति की प्रगाढ़ता जब बढ़ती है तो परमात्मा वरदान के रूप में भक्त को सद्बुद्धि के रूप में दैवी संपदा प्रदान करते हैं, जिससे उसे नाना प्रकार के लौकिक सुख, संपत्ति, धन दौलत, यश-कीर्ति, पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती रहती है। वहीं ईश्वर के प्रति नास्तिकता का भाव होने के कारण दुर्बुद्धि-ग्रस्त व्यक्ति को पग-पग पर ठोकर अपकीर्ति, दुख, संताप, पीड़ा, कष्ट प्राप्त होते हैं। ईश्वर के प्रति नास्तिकता के कारण ही उसकी मति क्षीण हो जाती है और समस्त संपदा नष्ट हो जाती है, जबकि सद्बुद्धि के कारण असहाय व्यक्ति भी अपना जीविकोपार्जन कर लेता है। किसी के समक्ष उसे हाथ फैलाने, भिक्षा मांगने की जरूरत महसूस नहीं होती है।

सद्बुद्धि के जागरण से ही जीवन की समस्त अनसुलझी समस्याओं का समाधान किया जाना संभव है। प्राचीन समय में समस्त ऋषि-महर्षि और देवगण सद्बुद्धि के जागरण के लिए नित्य गायत्री उपासना किया करते थे। यही अंतर्दृष्टि के जागरण का भी मूल है। इसके बिना तो व्यक्ति मूढ़, मूर्ख, पशु-तुल्य निज जीवनयापन करता है। आत्मिक प्रगति और जीवन की सार्थकता का स्वर्णिम अवसर तो सद्बुद्धि के जागरण से ही संभव होता है। ऋषि-मुनि जीवन को संस्कारित एवं बंधन मुक्त बनाने के लिए बाल्य काल से ही सद्बुद्धि के जागरण का अभ्यास कराते थे। जिससे बच्चों में उत्कृष्ट सोच, स्वभाव, कर्म का जन्म होता था और इसके कारण उनका जीवन मनुष्यता को पाकर सुखी संपन्न, नैतिक प्रधान बनकर गौरवशाली एवं महान बन जाता था।

मुकेश ऋषि

# मोबाइल फोन ने बदली दुनिया

सुधीर कुमार

लोगों को तकनीक से जोड़ने तथा उनमें तकनीकी समझ विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय मोबाइल फोन को ही जाता है

3 अप्रैल, 1973 को जब मोटोरोला कंपनी के मालिक मार्टिन कूपर ने दुनिया के सामने एक किलो वजनी पहला मोबाइल फोन प्रस्तुत किया था तो शायद उन्होंने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि विज्ञान का यह चमत्कारिक ईजाद एक दिन पूरी दुनिया को ही सम्मोहित कर लेगा! मोबाइल फोन के आगमन के बाद न सिर्फ पूरी दुनिया तकनीक के मामले में बड़ी तेजी से परिवर्तित हुई है, अपितु 'विकेंद्रीकृत तकनीक' की अवधारणा को साकार करने में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। लोगों को तकनीक से जोड़ने तथा उनमें तकनीकी समझ विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय मोबाइल को ही जाता है। कभी सिर्फ फोन करने और संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल अब अपने परंपरागत दायरे से बहुत आगे निकल चुका है। स्मार्टफोन के आगमन के बाद ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया महज पांच-छह इंच की स्क्रीन में समा गई है। बहुद्देशीय प्रकृति होने की वजह से मोबाइल ने आधुनिक जीवन को अत्यंत सरल और सुगम बना दिया है।

एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 80 करोड़ मोबाइल फोन धारक हैं। आश्चर्य की बात है कि इस सूची में 50 से 60 लाख फोन प्रतिवर्ष जुड़ भी रहे हैं! हालांकि कुछेक दशक पूर्व ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। भारत में मोबाइल फोन का आगमन 1995 में हुआ, जब बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम से मोबाइल फोन के जरिये बात करके देश में मोबाइल के आगमन का श्रीगणेश किया था। मोबाइल फोन खरीदना तब बहुतों के लिए एक बड़ा सपना था। स्थिति यह थी कि तब इनकमिंग कॉल के भी पैसे देने होते थे।

बहरहाल मौजूदा समय में देश तकनीक के मामले में भारी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में डिजिटल क्रांति को नई दिशा मिली है। सच्चाई भी यही है कि आज के इस तकनीकी दौर में जो व्यक्ति मोबाइल, सर्च इंजन और सोशल मीडिया से दूर है, वह निश्चय ही तकनीक के मामले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है! देश को डिजिटल क्रांति के पथ पर अग्रसर रखना उचित कदम तो है। किंतु हमें यह भी ध्यान में रखकर चलना होगा कि देश में बिजली किल्लत, सुस्त इंटरनेट, डाटा की महंगी दर जैसी समस्याएं डिजिटल भारत की योजना के लिए बाधक बन सकती हैं। इसलिए डिजिटलीकरण के साथ-साथ बुनियादी मुद्दों पर भी काम करने की आवश्यकता है। तकनीक का प्रयोग बढ़ने से पर्यावरण संरक्षण होगा। सरकारी विभागों में पेपरलेस कार्य तथा ई-शिक्षा को व्यवहार की जमीन पर उतारते ही कागज के कारण होने वाले पेड़ों की बहुसंख्य कटाई पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

कहा जाता है कि एक तकनीक आपको दूसरी तकनीक से जोड़ती है। ऐसे में अगर हम तकनीक से जुड़े नहीं रहते हैं तो नई-नई तकनीकें भी हमारी पहुंच से दूर रह जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि हम तकनीक से जुड़े रहें और उसका सीमित तथा सार्थक प्रयोग भी करते रहें।

(लेखक बीएचयू में अध्येता हैं)

## मेलबाक्स

### समान नागरिक संहिता वक्त की मांग

समान नागरिक संहिता में बेवजह की देरी शीर्षक से लिखे अपने लेख में नाइश हसन ने समान नागरिक संहिता को लागू करना हर धर्म के लोगों के लिए हितैषी बताया है। सुप्रीम कोर्ट भी लंबे समय से देश में समान नागरिक संहिता लाने की बात करता रहा है। अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाए तो यह हमारे देश की एकता और अखंडता को और मजबूत करने का काम करेगी। मोदी सरकार को जल्द ही इसे लाने का फैसला करना चाहिए। जब संविधान में हर धर्म-जाति के लोगों को एक समान अधिकार और कर्तव्य का प्रावधान है तो फिर समान नागरिक संहिता लागू करने में किसी को क्या हर्ज? जो मुस्लिम इसका विरोध करते हैं, उनसे यह सवाल है कि कितने मुस्लिम देशों या अन्य देशों में हर धर्म के नागरिकों के लिए अलग-अलग कानून हैं? कानून का कोई धर्म नहीं होता। फिर एक देश में अलग-अलग धर्म के नागरिकों के लिए अलग-अलग कानून क्यों?

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

### कौन है मौतों का जिम्मेदार

दिल्ली के रिहाइशी इलाकों में चल रही अवैध फैक्ट्रियां कब तक मजदूरों की जान लेती रहेंगी? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जिसके सहारे परिवार खड़ा था वह आज दुनिया से चला गया। अलग-अलग वजहों से समय-समय पर लोगों को असमय मौत के मुंह में डाल रहीं ये फैक्ट्रियां किसी काल से कम नहीं हैं। इसमें हमारा पूरा प्रशासनिक तंत्र जिम्मेदार है, जो इस समय एक-दूसरे पर आरोप मढ़ रहा है। इसमें राजनीति करने से अच्छा है कि उस स्थिति को ठीक किया जाए। इन सत्तर वर्षों में हमने न जाने कितनी तकनीक का विकास किया, लेकिन आज भी हमारे होटल, स्कूल, अस्पताल और फैक्ट्री बिना सुरक्षा उपकरण के संचालित हो रहे हैं। आनाज मंडी में लगी आग बहुत ही दुखद है। इससे हमें सीख लेनी चाहिए और त्वरित गति से सभी फैक्ट्रियों की जांच होनी चाहिए। वहीं अवैध रूप से चल रही इन इकाइयों को बंद करना होगा। इसके अलावा पुरानी दिल्ली की गलियों में फैले बिजली के तारों के जाल को भी सुधारा जाए।

आशीष, दिल्ली विश्वविद्यालय

### जन्मसिद्ध अधिकार है मानवाधिकार

संविधान ने सभी मनुष्यों तथा जीवों को कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जो उनको जन्म से ही स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। जैसे- जीवन, आजादी, सम्मान, बराबरी का अधिकार हम सभी को है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के इन अधिकारों का हनन करता है तो न्याय प्रणाली द्वारा आरोपी को दंडित किया जाता है। क्या आज मानवाधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? दिल्ली अग्निकांड हो या महिलाओं पर होते अत्याचार ये सब मानव अधिकारों का हनन हैं। मात्र कागजों में अधिकारों की बातें करने से हम आम नागरिकों तक उसका अधिकार नहीं पहुंचा सकते। इनका पालन सरकारों का दायित्व बनता है। दिल्ली अग्निकांड में निर्दोष लोग दम घुटने तथा जल कर बेमौत मर गए। उनके अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी थी? हर दूसरे दिन महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार कर हत्या करने की दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं इन सबका जिम्मेदार कौन है? मानवाधिकार प्रकृति प्रदत्त अधिकार है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

आचार्य रामकुमार बघेल, पलवल

### स्थानीय संस्कृति को बचाने की कवायद

यह पत्र 'नागरिकता विधेयक' के संदर्भ में है। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर जैसा माहौल खड़ा किया गया वह वोट बैंक की राजनीति से ओतप्रोत है। जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको अपनी सोच बड़ी और सही करने की जरूरत है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों मुस्लिम बहुल देश हैं। वहां के मुसलमानों को भारत में रियायत देने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। इसके अतिरिक्त अन्य धर्म के लोग जो 2014 के पहले से भारत में आकर बस गए हैं उनको कैसे भारत की नागरिकता देनी है यह विधेयक उसके संदर्भ में है। अवैध तरीके से बांग्लादेश से आए लोगों ने असम के अलावा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों का नक्शा ही बदल दिया है। स्थानीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस पर कदम उठाने का समय आ गया है।

बाल गोविंद, नोएडा

**इस स्तंभ** में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठ